न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	40/24	2024/104	04.12.2024	सरकार बनाम संजीव	26.02.2026	1 लगायत4

पीठासीन अधिकारी :— सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 40/2024 (2024/104)

1. वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

—आवेदक

बनाम

1. संजीव कुमार पुत्र श्री भवर पाल (विक्रेता) मैसर्स सिंघल होटल, अम्बेडकर नगर गंगापुरसिटी 322201 निवासी कैलादेवी मन्दिर के सामने गंगापुरसिटी 3222012.
2. पूजा गुप्ता पत्नि विनोद कुमार गुप्ता,(प्रोपराईटर) मैसर्स सिंघल होटल, खसरा नं. 180, 187 अम्बेडकर नगर गंगापुरसिटी 322201 निवासी शुभलक्नी मिल कॉलोनी गंगापुरसिटी 322201।

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 & 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के अन्तर्गत दिनाक 01.10.2024 को 02:00 पी. एम पर मैसर्स सिंघल होटल अम्बेडकर नगर गंगापुर सिटी पर पहुंचा। मौके पर होटल / संस्थान निरीक्षण करने पर पाया कि सब्जी बनाने में प्रयुक्त किये जा रहे च्ंददमत 1 ाह वजनी खरीदकर उसकी कीमत 300 रुपये विक्रेता श्री संजीव कुमार को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता को हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अकित के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सजीव कुमार ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री सजीव कुमार को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं 5ए एवं फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक वाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा । किलोग्राम **Panner** को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Paneer** को प्रत्येक बोतल में बराबर मराबर कर 20 20 बूंदे फार्मलीन की डालकर बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल [illegible]पकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमाक भ—3426 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागो को अलग—2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की [illegible]शुदा पेपर स्लिप नं. एच 3426 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की छ प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म स. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म स 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1088 दिनांक 22.10.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सः एलएस/3901/एक्ट/2024/3771 दिनाक 22.10.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Panner, Substandard & The Sample is also food containing extraneous matter(foreign fat) under section** 3(1)(1) होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ **Panner, Substandard & The Sample is also food containing extraneous matter(foreign fat) under section** 3(1)(1) का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा **2(ii)** का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 54 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ **Panner, Substandard & The Sample is also food containing extraneous matter(foreign fat) under section** 3(1)(1) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा **2(ii)** का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाइसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाकर उसको भरते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.03.10 17:11:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सः एलएस/3901/एक्ट/2024/3771 दिनाक 22.10.2024 निम्नानुसार हैः–

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM-VII A
Test Report of the Food Analyst
[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

NABL TC 8946

Report No. L.S. / 3901 / Act / 2024 / 3771 Date: 10-10-2024

Certified that I Pratibha Meena, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Ved Prakash Purviya, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Paneer" bearing Code number and Serial number H-3426 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 04-10-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.16 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 07-10-2024 to 10-10-2024 and the result of its analysis is given below.

Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle.

(2) Physical appearance : - White coloured soft solid material.

Sl. No	Quality Characteristics.	Nature of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder (b) As per label declaration for Proprietary food
1.	Moisture.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 3.2.2016	63.26%	Not more than 60.0%
2.	Milk fat content of the dry matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.3.4.2016	15.76 %	Not less than 50.0%.
3.	Test for added Starch.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.2.2016	Negative	Negative
4.	Test for added Sugar.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.1.2016	Negative.	Negative.
5.	Test for added Urea.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.4.2016	Negative	Negative.
[illegible]	[illegible]est for Neutralizer.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.11.2016	Negative.	Negative.
7.	B.R.Reading at 40.0°C of extracted fat.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.3.3.2016	48.6	40.0 to 44.0 (Milkfat).
8.	Reichert Value of extracted fat	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.3.5.2016	3.94	Min. 24.0
9.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 3.2.2016	Absent.	Absent.

The values obtained under parameter Butyro Refractometer reading at 40.0°C and Reichert value of extracted fat indicate that the Milk Fat of the product has been substituted by foreign fat.

Opinion-The sample of "Paneer" bearing Code No. and Sr. No. H-3426 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(l) of Food Safety and Standard Act, 2006.

Signed this 10th day of October 2024

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur Rajasthan.

प्रतिभा
Food Analyst
(Authorized Signatory)
PRATIBHA MEENA
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

*** End of Report ***

Note : The results relate only to the item tested.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:28 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Panner, Substandard & The Sample is also food containing extraneous**

अतिरिक्त ... कलेक्टर
गंगापुर सिटी

matter(foreign fat) under section 3(1)(1) का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ **Panner, Substandard & The Sample is also food containing extraneous matter(foreign fat) under section** 3(1)(1) का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना राशि 10,000 रूपये (अक्षरे–दस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:28 IST
Reason: SelfAttested